HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous **III**rd Bail Application No. 8895/2026
CNR: RJHC010612542026
URN: CRLMB / 19316U / 2026

Narpat Ram S/o Nena Ram, Aged About 50 Years, R/o Khejarla, Police Station Bilara, Jodhpur Rural, At Present House No. 03, Basant Vihar, Khokhariya, Police Station Banar, District Jodhpur, Rajasthan Lodged In Central Jail, Jodhpur.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Bhagirath Ray Bishnoi
For Respondent(s) : Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

08/07/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह तृतीय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, पुलिस थाना **बनाड़**, जिला **जोधपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **300/2025**, अपराध अन्तर्गत धारा **189(2), 189(4), 109(1)/190, 115(2)/190, 132/190, 121(1)/190, 324(5)/190, 324(6)/190, 118(1)/190 व 191(3) भारतीय न्याय संहिता** के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पूर्व में प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत का द्वितीय प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.03.2026 को गवाह रंगलाल के बयान के पश्चात् जमानत प्रार्थना–पत्र पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ जरिये विद्ड्रॉवल खारिज किया गया था। अब इस मामले में विचारण के दौरान आहत रंगलाल के बयान हो चुके हैं, जिसने स्पष्ट तौर पर जिरह में स्वीकार किया गया है कि उसके सिर पर जीवन के लिये प्राणघातक चोट नहीं लगी थी। मुख्य गवाह के बयान हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में गवाह को बरगलाने का अंदेशा अब इस मामले में

नहीं रहा। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 17.09.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। आहत रंगलाल के बयान बतौर पी.डब्ल्यू.1 पर विचार किया गया।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का तृतीय जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **नरपतराम पुत्र नेनाराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

87/Divyashri Maru/677